

३०४

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा, (म.प्र.)



प्र. २०।—

R - ३०८० - ॥ १५

१. गोवर्धन प्रसाद पयासी तनय स्व. श्री रामनारायण पयासी, उम्र 62 वर्ष
२. अनुराग पयासी तनय श्री गोवर्धन पयासी, उम्र 32 वर्ष,
आलोक पयासी तनय श्री गोवर्धन पयासी, उम्र 36 वर्ष
३. सभी निवासी ग्राम गुढ़, तहसील व थाना गुढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)

एड

सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

निगरानीकर्त्तव्य

१. ब्रह्मदीन गौतम तनय श्री केदारनाथ गौतम,
 २. आशा देवी पुत्री श्री केदारनाथ गौतम,
 ३. काशी प्रसाद तिवारी तनय श्री चन्द्रभानराम तिवारी,
 ४. लालमणि तिवारी तनय श्री हरिवंश तिवारी,
 ५. सभी निवासी ग्राम गुढ़, तहसील व थाना गुढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)
- शासन मध्यप्रदेश।

गैर निगरानीकर्त्तव्य

पुनरीक्षण आवेदन विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर
रीवा, जिला-रीवा म०प्र० के निगरानी प्रकरण
क्रमांक ८०/अ-१२/२०१०-११ में पारित
आदेश दिनांक २३.०६.२०१४

अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता १९५९ ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

शोबधी पंजामी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R3080-II/14

जिला—रीवा

गोवर्धन प्रसाद पयासी/ द्वाम्हीन गौतम

(1)	(2)	(3)
05।४।१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिवेणी प्रसाद सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 80/अ-12/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशनन्द धीधरी) सदस्य</p>	